# कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांकः 1333 /14–1 दिनांक, एटा, जनवरी, 9 ,2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक सहपरियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़।

विषय **एटा से अलीगढ़ –कानपुर सैक्शन (एन0एच0–91) कि0मी0 186 से 229 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ इस कार्यालय का पत्रांक 1–1194/14–1 दिनांक 16.12.2017
2–1231/14–1 दिनांक 22.12.2017
3–1257/14–1 दिनांक 28.12.2017
4–1291/14–1 दिनांक 01.01.2018
5–1307/14–1 दिनांक 01.01.2018

विषयगत प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्रों द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु सूचित किया गया था जो कि निम्नानुसार हैः–

1. आपत्ति कमांक–2:– प्रस्तावित वनभूमि की गणना में विद्यमान R.O.W. विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना अंकित नहीं है। संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
   **यूजर एजेन्सी एन0एच0ए0आई0 से वांछित।**
2. आपत्ति कमांक–3:– परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृती संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
   **यूजर एजेन्सी एन0एच0ए0आई0 से वांछित।**
3. आपत्ति कमांक –7:– प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
   **यूजर एजेन्सी एन0एच0ए0आई0 से वांछित।**
4. आपत्ति कमांक–8:–मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W. प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें ।
   **यूजर एजेन्सी एन0एच0ए0आई0 से वांछित।**
5. आपत्ति कमांक –9:– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(xvii) में अपलोड पावर ऑफ अटार्नी में आवेदक का नाम अंकित कर व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

उक्त आपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी अभिलेख आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जिससे आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव उच्च अधिकारी को प्रेषण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आपत्तियों सम्बन्धी उपरोक्त अभिलेख 3 दिन में उपलब्ध करा देंगे।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,एटा।

पत्रांक 1333 /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन 17, राणा प्रताप मार्ग उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी,एटा।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,एटा।